संख्या-11/2018/87/38-6-18-01(आरसेटी)/2017

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांदा।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक-16 मई, 2018

विषय- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत जनपद- बांदा में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(आरसेटी) की स्थापना हेतु जनपद से संबंधित लीड बैंक को न्यूनतम लीज रेन्ट पर भूमि उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन गोमती नगर, लखनऊ के पत्र सं0-198/109/ आजीविका/आरसेटी//2017-18, दि0-05.02.2018 द्वारा जनपद-बांदा में आरसेटी की स्थापना हेतु शासनादेश सं0-1099/38-6-13-12(एसजीएसवाई)/2008, दि0-24.10.2013 द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि, जिसे शासनादेश सं0-16/330/38-6-17-1(आरसेटी)/2017, दिनांक-13.06.2017 द्वारा निरस्त किया गया है, के स्थान पर संशोधन स्वरूप जिलाधिकारी, बांदा के पत्र सं0-582/ एनआरएलएम/डीटीई/आरसेटी/भूमि आवंटन/2017-18, दिनांक-30.01.2018 द्वारा किए गए निम्नानुसार प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

जनपद का नाम	प्रस्तावित भूमि का विवरण	भूमि का स्वामित्व/प्रशा0 विभाग	लीड बैंक
1	2	3	4
बांदा	मौजा मवई बुजुर्ग, विकास खण्ड बडोखर खुर्द, तहसील बांदा स्थित खाता खतौनी सं0-02188 गाटा सं0-2393 रकबा 0.2020 हे0	ग्राम सभा/भूमि प्रबन्धक समिति, राजस्व विभाग	इलाहाबाद बैंक

2- उक्त तालिका के कालम-3 में प्रस्तावित भूमि का स्वामित्व राजस्व विभाग का है। आरसेटी की स्थापना हेतु (ग्राम सभा के श्रेणी-5(3)(ड) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के संबंध में) राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दि0-03.06.2016 व 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दि0-03.06.2016 द्वारा उक्त भूमि को

http://shasanadesh.up.nic.in

पुनर्ग्रहीत करने की शक्ति कलेक्टरों व मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित की गयी है। अत: प्रस्तावित भूमि के पुनर्ग्रहण के संबंध में उपरोक्त वर्णित शासनादेशों के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जानी है।

3- शासनादेश सं0-1099/38-6-13-12(एसजीएसवाई)/2008, दि0-24.10.2013 तथा समय-समय पर निर्गत अनुवर्ती अन्य शासनादेशों में उल्लिखित भूमि आवंटन/लीज पर दिये जाने की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।

कृपया तदनुसार जनपद में आरसेटी भवन के निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण के संबंध में अविलम्ब अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या-11/2018/87(1)/38-6-18तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
2-प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3-आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4-मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5-मण्डलायुक्त, चित्रकूट मण्डल, बांदा, द्वारा-मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम।
6-मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जनपद-बांदा, द्वारा-मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम।
7-प्राचार्य, क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बांदा ।
8-संबंधित लीड बैंक आफिसर द्वारा-मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम।
9- मुख्य महाप्रबन्धक एस.एल.बी.सी. गोमतीनगर, लखनऊ।
10-सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, छठवां तल, होटल समाट, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली।
11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in